

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 120/14

संस्थापन दिनांक:-21/02/14

फाईलिंग नं. 233504001882014

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

1. सोनू पिता रामू सूर्यवंशी, उम्र 24 वर्ष
 2. मोटू उर्फ कमलसिंह पिता सुन्दरलाल, उम्र 23 वर्ष
 3. छोटू उर्फ रमेश पिता सुन्दरलाल, उम्र 18 वर्ष
- सभी निवासी राम मंदिर की चाल आमला,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 13.01.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 452, 294, 323/34, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 11.02.2014 को समय 08:30 बजे या उसके लगभग राम मंदिर मोहल्ला प्रार्थी का घर थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी सरिता अड़लक के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में उपहति कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरुद्ध करने की या उसे उपहति हमला या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयार करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया एवं फरियादी को लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी सरिता अड़लक को स्वेच्छया उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 11.02.2014 को रात करीब 8.30 बजे उसके घर के सामने खड़ी थी तभी अभियुक्त सोनू मोटर सायकिल तेजी से लेकर मोहल्ले में आया तो संजीव, मदन ने उसे कहा कि मोटर सायकिल धीरे चला बच्चे खेल रहे हैं तो अभियुक्त सोनू तुम कौन होते हो

बोलने वाले कहकर वहां से चला गया और थोड़ी देर बाद सभी अभियुक्तगण आये और गाड़ी चलाने की बात को लेकर फरियादी का नाम लेकर जोर जोर से मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगे जिस पर वह घर के अंदर चली गयी और दरवाजा बंद करने लगी तो अभियुक्तगण ने उसके घर का दरवाजा को जोर से धक्का मारकर खोल दिया और अंदर घुस सामने के कमरे में उसे हाथ थप्पड़ से मारपीट करने लगे। अभियुक्तगण ने उसे जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अपराध क्र. 137/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष है और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी सरिता अड़लक के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में उपहति कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरुद्ध करने की या उसे उपहति हमला या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयार करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया ?
2. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी और अन्य को क्षोभ कारित किया ?
3. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी सरिता अड़लक को स्वेच्छया उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
4. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

5. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 02 एवं 04 का निराकरण

5 सरिता (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उसके पिता को गंदी गंदी गालियां दी थी। इस संबंध में गयाबाई (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने गाली गलौच की थी। इस संबंध में साक्षी बाबूराव (अ.सा.-3) ने व्यक्त किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। उपर्युक्त तीनों ही साक्षीगण ने अपने-अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय गंदी गंदी गालियां दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु साक्षीगण ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा किन-किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त अभियोजन कथा अनुसार घटना घर के अंदर की है। तब ऐसी स्थिति में उपर्युक्त अपराध का आवश्यक तत्व घटना स्थल लोक स्थान न होने से भी 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

6 साक्षी सरिता (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्तगण द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये हैं। साक्षी गयाबाई (अ.सा.-2) एवं बाबूराव (अ.सा.-3) ने प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने जान से मारने की धमकी दी थी। इसके अतिरिक्त इस संबंध में अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन परीक्षण में कोई कथन नहीं किये हैं। यद्यपि साक्षी गयाबाई (ब.सा.-2) एवं बाबूराव (अ.सा.-3) ने अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्तगण का उनके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो। अतः मारपीट के समय दी गई धौंस मात्र से धारा-506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 01 एवं 03 का निराकरण

7 उपर्युक्त दोनों विचारणीय प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से

संबंधित होने से साक्ष्य दौहराव से बचने के लिए दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

8 सरिता (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना रात में लगभग 12-1 बजे की उसके घर की है। घटना के समय वह और परिवार के सभी लोग सो रहे थे तभी रात में अभियुक्तगण मुंह पर सफेद रंग का चेक-चेक वाला कपड़ा बांधे हुए आये और घर का गेट तोड़कर घर के अंदर घुस गये। इसी साक्षी ने आगे यह प्रकट किया है कि अभियुक्तगण ने उसके पिता की कॉलर पकड़ ली थी और घर के बाहर खींच लिया था। जब वह बचाने के लिए गयी तो अभियुक्तगण में से किसी एक अभियुक्त का पैर उसकी छाती में लग गया था। अभियुक्त छोटू ने ईंट उठाकर उसे मारा था जो उसके कंधे पर लगा था।

9 गया बाई (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना लगभग रात के 8 बजे की है। घटना दिनांक को ही अभियुक्त सोनू घर के सामने से बहुत तेजी से मोटर सायकिल लेकर जा रहा था तो उन लोगों ने उससे कहा कि इतनी तेज गाड़ी मत चलाओ बच्चे खेलते हैं। इसी साक्षी ने आगे यह प्रकट किया है कि उक्त दिनांक को ही रात में लगभग 8 बजे अभियुक्तगण मुंह में कपड़ा बांधकर हाथ में बड़े बड़े डंडे लेकर आये और घर कर दरवाजा तोड़कर उसके पति की कॉलर पकड़ ली। इसी साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि जब उसने और उसकी बेटी ने बीच बचाव किया तो किसी एक अभियुक्त का पैर बेटी की छाती में लग गया था।

10 बाबूराव (अ.सा.-3) ने घटना रात के लगभग 12-12.30 बजे की होना प्रकट करते हुए बताया है कि घटना दिनांक को दोपहर में अभियुक्तगण मोटर सायकिल घर के सामने से तेजी से ले जा रहे थे। तब उसकी बेटी सरिता ने अभियुक्तगण से कहा कि मोटर सायकिल धीरे चलाया करो बच्चे खेलते हैं। उसी दिन अभियुक्तगण घर पर आये और घर कर दरवाजा तोड़कर उसकी कॉलर पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया, तभी उसे बचाने के लिए उसकी बेटी सरिता आयी तब अभियुक्तगण में से किसी एक का पैर सरिता को लग गया। उक्त साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि अभियुक्तगण नकाब बांधे हुए थे और उन्हीं में से किसी एक ने ईंट फेंका था जो उसकी बेटी सरिता की छाती में लगी थी।

11 छन्नीलाल (अ.सा.-4) एवं संजीव मादन (अ.सा.-5) ने घटना का किंचित मात्र भी समर्थन नहीं किया है। उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी उपर्युक्त साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं।

12 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-6) ने दिनांक 12.02.2014 को सीएचसी आमला में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत

सरिता का परीक्षण किये जाने पर आहत के दाहिने हाथ की हथेली एवं कलाई के जोड़ में 1 गुणा 1 सेमी. एवं 1 गुणा आधा सेमी. आकार की खरोच एवं उपरी ओंठ के दाहिनी तरफ 2 गुणा 1 सेमी. आकार की सूजन पायी थी तथा आहत को पेट पर दर्द था। उक्त साक्षी ने आहत को आई चोट परीक्षण के 12 से 24 घंटे के भीतर तथा कड़े एवं बोथरे हथियार से आना प्रकट करते हुए चिकित्सीय रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-5) पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।

13 बाबूलाल पवार (अ.सा.-7) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 11.02.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 137/14 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक 12.02.2014 को नक्शा मौका (प्रदर्श प्री-2) एवं अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर प्रदर्श प्री-6 लगायत प्रदर्श पी-8 का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना बताया है। साक्षी ने उक्त दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षरों को भी प्रमाणित किया है।

14 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। प्रकरण में साक्षी गयाबाई एवं बाबूराव फरियादी के माता पिता होकर हितबद्ध साक्षी हैं तथा इनके कथनों में भी पर्याप्त विरोधाभास है। अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन के मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

15 बचाव अधिवक्ता के उक्त तर्कों के परिप्रेक्ष्य में सरिता (अ.सा.-1), गयाबाई (अ.सा.-2), बाबूराव (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्तगण का मुंह में कपड़ा बांधकर घर कर दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुसना तथा फरियादी के पिता बाबूराव के साथ मारपीट किया जाना तत्पश्चात बीच बचाव किये जाने पर फरियादी सरिता के कंधे पर ईंट से चोट आना प्रकट किया है। सरिता (अ.सा.-1) ने प्रति परीक्षण के पैरा क्र. 03 में बचाव के इस सुझाव को गलत बताया है कि उसने पुलिस को ऐसा बताया था कि घटना दिनांक को उसने अभियुक्त सोनू को मोटर सायकिल धीरे चलाने के लिए कहा था। गयाबाई (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 03 में बचाव के इस सुझाव को सही होना बताया है कि उसकी बेटी/फरियादी सरिता का अभियुक्तगण से गाड़ी चलाने के उपर से कोई विवाद नहीं हुआ था तथा इसी पैरा में साक्षी ने घटना रात के लगभग 12:30 बजे की होना बताया है। साक्षी ने पैरा क्र. 02 में यह बताया है कि अभियुक्तगण मुंह में कपड़ा बांधे हुए थे इसलिए उन्हें पहचानना संभव नहीं था। यह भी बताया है कि अनुमान के आधार पर अभियुक्तगण का नाम बताया गया था। बाबूराव (अ.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 02 में बचाव के इस सुझाव को सही होना बताया है कि वह घटना के समय सोया हुआ था और जब वह सोकर उठा तब अभियुक्तगण भाग चुके थे।

16 अभियोजन कथा अनुसार घटना दिनांक 11.02.2014 की रात्रि करीब 08:30 बजे की फरियादी के घर के सामने की थी। अभियोजन कथा अनुसार फरियादी अपने घर के सामने खड़ी थी, पड़ोस का एक व्यक्ति संजीव मदान भी खड़ा हुआ था तभी अभियुक्त सोनू मोटर सायकिल लेकर मोहल्ले में आया तो उससे यह कहा गया कि मोटर सायकिल धीरे चलाया करो और इसी बात पर से गाली गलौच हुई तभी अन्य अभियुक्तगण भी आ गये और फरियादी डर के कारण घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद करने लगी तो अभियुक्तगण ने दरवाजे पर धक्का देकर घर के अंदर घुसकर उसके साथ मारपीट करने लगे, तब उसके माता पिता के द्वारा उसका बीच बचाव किया गया।

17 फरियादी सरिता (अ.सा.-1), गयाबाई (अ.सा.-2) और बाबूराव (अ.सा.-3) उन्होंने घटना रात्रि 12-12:30 बजे की होना बताया है। साथ ही साक्षीगण ने अभियुक्तगण का मुंह पर कपड़ा बांधकर घर पर घुसना एवं सबसे पहले फरियादी के पिता बाबूराव के साथ मारपीट करना व्यक्त किया है तथा बीच बचाव में फरियादी सरिता को चोट आना बताया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुसार घटना दिनांक 11.02.2014 की रात के 10:30 बजे की है तथा उक्त दिनांक को ही घटना की रिपोर्ट थाने में रात्रि 09:30 बजे की गयी है। जबकि उपर्युक्त साक्षीगण घटना रात के 12-12:30 बजे की होना बताया है। साथ ही साक्षीगण ने अभियुक्तगण के मुंह पर कपड़ा बंधा होना बताया है। सरिता (अ.सा.-1) ने यह बताया है कि अभियुक्त सोनू के मुंह पर कपड़ा नहीं बंधा था तथा जब झूमा झटकी हो रही थी तब अन्य अभियुक्तगण के मुंह से कपड़ा हट गया था। जबकि गयाबाई (अ.सा.-2) एवं बाबूराव (अ.सा.-3) ने अपने परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण के मुंह पर कपड़ा बंधा होने से उनकी पहचान संभव नहीं थी। इस प्रकार अभियुक्तगण की पहचान के संबंध में भी साक्षीगण ने विरोधाभासी कथन न्यायालय में किये हैं। उपर्युक्त साक्षीगण ने अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किये जाने से आहत सरिता के छाती एवं कंधे पर चोट आना बताया है। जबकि चिकित्सकीय परीक्षण में उसे इस स्थान पर चोट नहीं पायी गयी। इस प्रकार आहत के कथन चिकित्सकीय साक्ष्य से भी संपुष्ट नहीं हैं तथा साक्षीगण ने घटना का जो समय बताया है वह रिपोर्ट लेख कराये जाने के बाद का है। साथ ही साक्षीगण ने अभियोजन कथा से हटकर न्यायालय में कथन किये हैं एवं अतिशयोक्तिपूर्ण कथन करते हुए नवीन तथ्यों का समावेश किया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा संदेहास्पद हो जाती है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 452, 323/34 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 05 का निराकरण

18 फरियादी सरिता (अ.सा.-1), गयाबाई (अ.सा.-2) एवं बाबूराव (अ.सा.-3) के कथनों में विरोधाभास एवं अभियोजन कथा से हटकर किये गये कथनों को देखते हुए उनकी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा फरियादी के निवास

स्थल में उपहति कारित करने की तैयार के पश्चात प्रवेश कर आपराधिक गृह अतिचार कारित किया जाना एवं फरियादी को लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी और अन्य को क्षोभ कारित किया जाना तथा सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी सरिता को उपहति कारित की जाना तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किये जाने का तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता। परिणामतः अभियुक्तगण सोनू, मोटू उर्फ कमलसिंह एवं छोटू उर्फ रमेश को संदेह का लाभ देते हुए धारा 452, 294, 323/34, 506 भाग-दो भा.दं.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

19 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

20 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)